

पंजीकृत
प्रेषक

सेवा में

निदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकूला।

हरियाणा राज्य के सभी
राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य

यादी क्रमांक 21/103-2021 एम0ई0 (4)
दिनांक, पंचकूला : 28/3/2022

विषय: आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-I पर लगे चतुर्थ एवम् तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की अनुबंध अवधी बढ़ाने बारे।


उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयांकित मामले में आप द्वारा निदेशालय के ध्यान में लाया गया है कि जो Service Provider (contractor) पार्ट-1 के तहत चतुर्थ एवम् तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की सेवायें दे रहे हैं तथा जो चतुर्थ एवम् तृतीय श्रेणी कर्मचारियों पार्ट-I के तहत कार्य कर रहे हैं, उनका contract खत्म हो चुका है या जल्द ही खत्म होने वाला है। इसलिए आप द्वारा Service Provider (contractor) तथा अनुबंध आधार पर लगे कर्मचारियों की समय अवधी बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

आप द्वारा भेजी गई मांग के आधार पर हरियाणा कोशल रोजगार निगम के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया तथा उन द्वारा बताया गया कि मैनपावर को कारगर करने में दो या तीन मास का समय लग सकता है। इसलिए महाविद्यालयों में कार्यरत स्टाफ तथा सेवायें दे रहे Service Provider (contractor) की सेवायें मैनपावर कारगर होने तक समय-समय पर बढ़ाई जा सकती है।

अतः महाविद्यालयों में नॉन-टिचिंग स्टाफ की कमी को ध्यान में रखते हुये कॉलेज का कार्य सुचारू रूप से चलाने हेतु सरकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-I के तहत ग्रुप-सी व ग्रुप-डी (कॉलेज कॉडर) में कार्यरत कर्मचारियों तथा जो Service Provider (contractor) उक्त कर्मचारियों को सेवायें दे रहे हैं उनकी contract अवधी तीन मास के लिये बढ़ाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

नोट :- आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-I या पार्ट-II में सरकार की हिदायतें दिनांक 28.09.2021 अनुसार कोई नई नियुक्ति न की जाये।


अधीक्षक एम.ई.


कृते: निदेशक उच्चतर शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठाकन क्रमांक : सम

दिनांक, पंचकूला : 28/3/2022

उपरोक्त पत्र की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अधीक्षक बजट शाखा
- ✓ 2. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (for uploading on Web Portal)


अधीक्षक एम.ई.

कृते: निदेशक उच्चतर शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला।